न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस/एल.आर./607/2008/दौसा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा ।

...प्रार्थी

बनाम

परसादी पुत्र श्योपाल जाति मीना निवासी चूरखेडा तहसील महवा जिला दौसा ।

...अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री बी.एल.गुप्ता, सदस्य

उपस्थित :-

श्री सुरेन्द्र शर्मा ,उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।

श्री आर.सी.पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी ।

आदेश

दिनांक :....9.8.2012.....

हस्तगत रेफरेंस धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अपने अभिशंसा आदेश दिनांक 29-10-2007 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमिधारी तहसीलदार महवा ने जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष निवेदन किया कि ग्राम चूरखेड़ा के साबिक खसरा नंबर कुल 7 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा संवत 2009 से 2019 की खतौनी बंदोबस्त में गैर

COMPARED BY

मुमकिन नाला व तलाई दर्ज है । उक्त जमाबन्दी में साबिक खसरा नंबर 372 जिसके बाद में नये खसरा नंबर 164 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त खसरा नंबर 164 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा गैर मुमकिन नदी का आवंटन अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल मीना के नाम कर दिया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 24-3-85 द्वारा अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किया गया । आवंटन के 10 वर्ष पश्चात उक्त आराजी जिसके नये खसरा नंबर 555, 556, 557, 558 रकबा 0.09, 0.09, 0.19, 0.18 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 4-6-92 से अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ । हाल जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 में खसरा नंबर 555, 556, 557, 558 रकबा 0.09, 0.09, 0.19, 0.18 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम पर अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल मीना के नाम दर्ज है। उक्त भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकिन नदी/तलाई है, पर खातेदारी दिया जाना वर्जित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार जो आवंटन हुआ है वह गैरकानूनी है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी नाले, ताल, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है । इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज इन्द्राज अवैध एवं प्रभाव शून्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त इन्द्राज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 02-8-04 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है। अतः उपरोक्त भूमि की दिनांक 15-8-1947 की

COMPARED BY

स्थिति को रेकार्ड के अनुसार पुनः बहाल करते हुए रेफरेंस स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

3- विद्वान योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदी, नाले, झीले ओर तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन की भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है जिन पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिबंध लागू होता है। इनमें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया कि विवादित आराजी मौके पर गैर मुमकिन तलाई नहीं है न ही पूर्व में रही है । अतः उक्त विवादित आराजी आवंटन/नियमन हेतु उपलब्ध थी । अतः विधिक रूप से उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं । उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

5- हमनें उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया । पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया।

6- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी जमाबन्दी संवत 2009 से 2019 में ग्राम चूरखेड़ा के साबिक खसरा नंबर कुल किता 7 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन नदी/तलाई दर्ज है । जिसके साबिक खसरा नंबर 372 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा तथा बाद में खसरा नंबर 164 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज रिकार्ड है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा

COMPARED BY

नंबर 164 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल मीना के नाम कर दिया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 24-3-85 द्वारा अप्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किया गया । आवंटन के 10 वर्ष पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 164 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के नये नंबर 555, 556, 557, 558 रकबा 0.09, 0.09, 0.19, 0.18 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 4-6-92 से अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ । हाल जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 में खसरा नंबर 555, 556, 557, 558 रकबा 0.09, 0.09, 0.19, 0.18 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम पर अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल मीना के नाम दर्ज कर दिया । उक्त भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज है, पर खातेदारी दिया जाना वर्जित है । इस प्रकार जो हस्तातंरण हुआ है वह विधि विरूद्ध है । ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955की धारा 16(2) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/ खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। लेकिन नियमों के विपरीत अप्रार्थी को नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 4-6-92 भूमि का आवंटन कर राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल का नाम अंकन है। इस प्रकार जो हस्तांतरण हुआ है वह विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार तलाई की भूमि का आवंटन/नियमन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 02-8-04 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है।

7- इस प्रकार यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजियात भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के

अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व ;कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है ।

8- उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरुप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चूरखेडा की आराजी खसरा नंबर 164 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसकी किस्म गैर मुमकिन तलाई है, जिसके नवीन खसरा नंबर 555, 556, 557, 558 रकबा क्रमशः 0.09, 0.09, 0.19, 0.18 हेक्टेयर बने है की किस्म परिवर्तित कर (बारानी प्रथम) अप्रार्थी परसादी पुत्र श्योपाल के नाम जरिए आवंटन खातेदारी में दर्ज की गई है, का आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 24-3-85 व नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 4-6-92 को भी निरस्त कर विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में, पुनः सिवायचक भूमि किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.8.2012

(बी.एल.गुप्ता)
सदस्य

COMPARED BY